उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी

विषय सूची

होम पेज: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट 3

चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीयन.. 4

चरण 2: पंजीकृत यूज़र लॉगिन.. 5

चरण 3: योजना खोज 6

चरण 4: आधार ई-प्रमाणीकरण 7

चरण 5: आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन.. 9

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना 10

चरण 7: शुल्क का भुगतान 11

चरण 8: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना 12

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना 14

चरण 10: आवेदन की स्थिति एवं प्रमाण पत्र डाउनलोड 15

होम पेज: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट

अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में टाइप करें
cgedistrict.cgstate.gov.in

निम्नानुसार **होमपेज** खुलेगा।

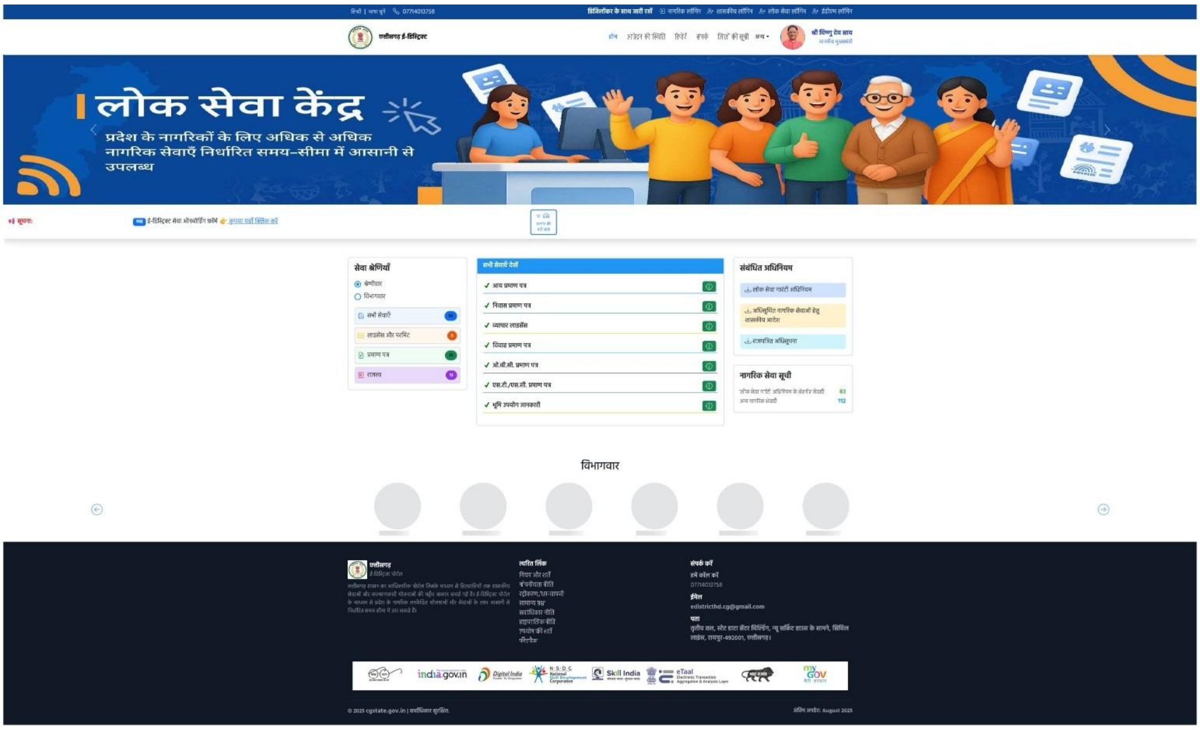

चित्र क्रमांक 1

लॉगिन करने के लिए होम पेज पर **नागरिक लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चित्र क्रमांक 2

चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीयन

चरण 1.1: यदि आप नए यूज़र हैं तो यहाँ क्लिक करें – "नया पंजीयन करने हेतु क्लिक करें"

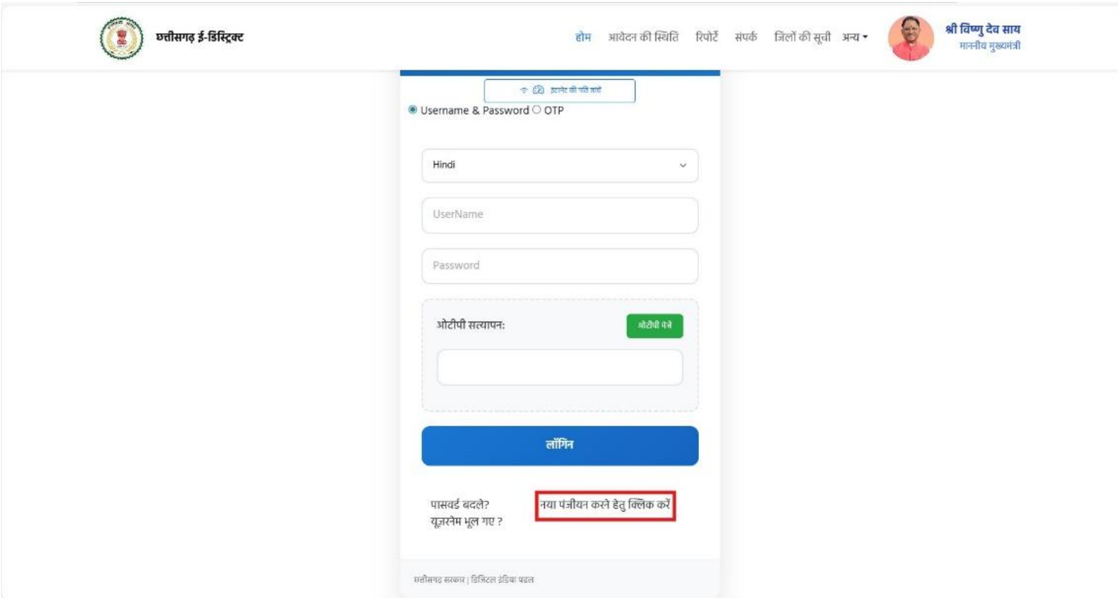

चित्र क्रमांक 3

चरण 1.2: नागरिक पंजीकरण पेज खुलेगा।

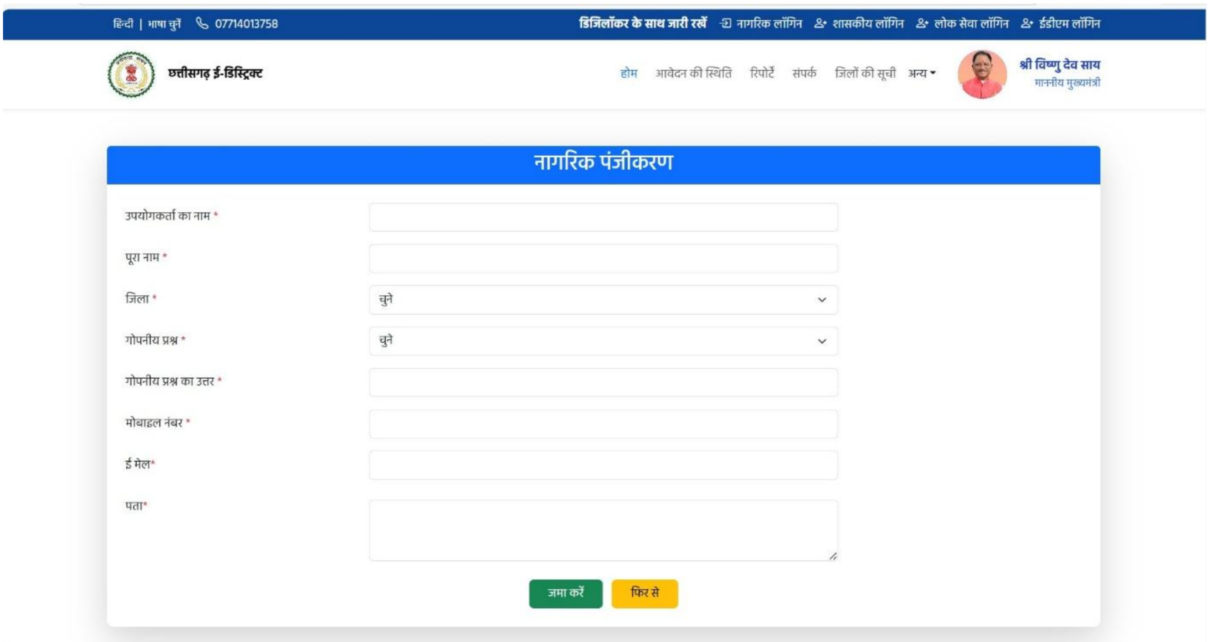

चित्र क्रमांक 4

चरण 1.3: यूज़र्स नेम और अन्य आवश्यक जानकारियाँ दर्ज़ करें।

चरण 1.4: "जमा करें" बटन पर क्लिक करें।

पंजीयन स्वीकार होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेजा जाएगा। इस पासवर्ड की सहायता से आप आय प्रमाण पत्र हेतु लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास पासवर्ड बदलने का विकल्प भी है।

चरण 2: पंजीकृत यूज़र लॉगिन

पंजीकृत यूज़र्स निम्न प्रक्रिया द्वारा लॉगिन करें।

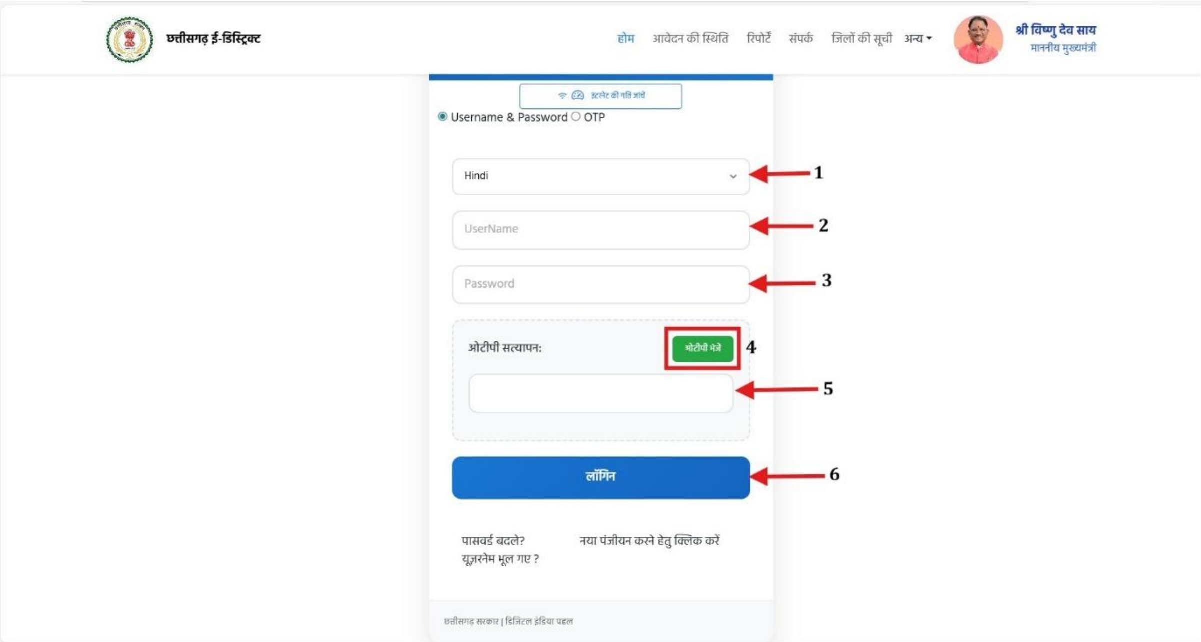

चित्र क्रमांक 5

1. **भाषा** का चयन करें।
2. **यूज़रनेम** दर्ज करें।
3. **पासवर्ड** दर्ज करें।
4. ***"ओटीपी भेजें"*** पर क्लिक करें।
5. अपने पंजीकृत नंबर पर प्राप्त ओटीपी यहाँ दर्ज करें।
6. **लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: योजना खोज

लॉगिन के पश्चात निम्नानुसार योजना पेज खुलेगा।

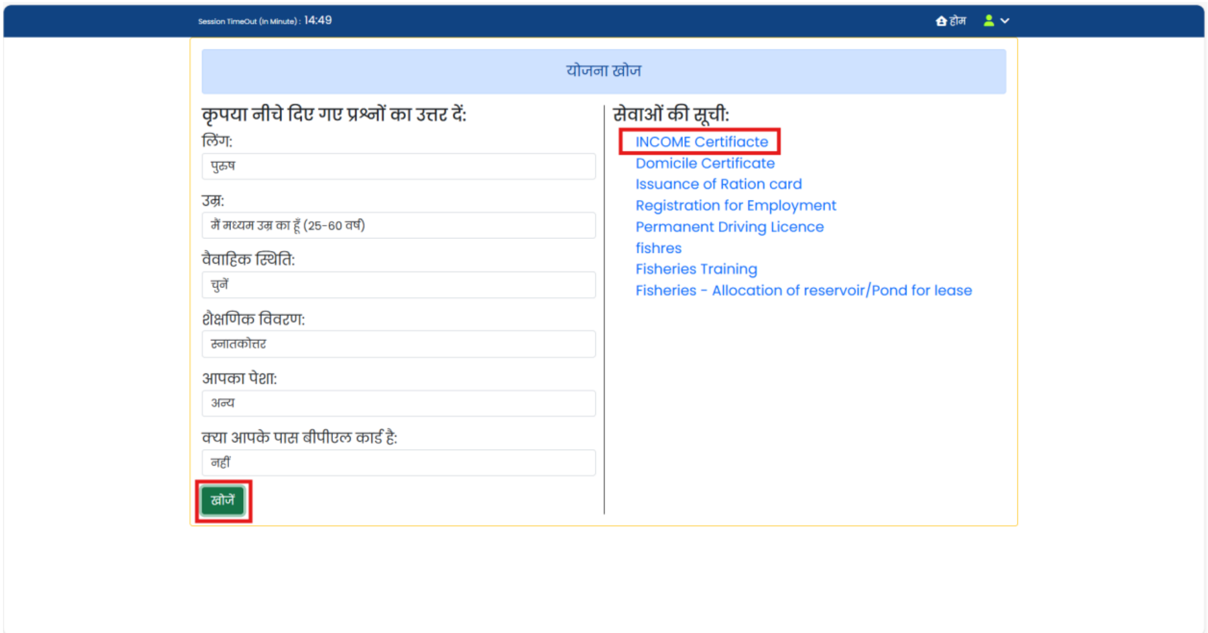

चित्र क्रमांक 6

चरण 3.1: यहाँ निर्धारित बॉक्स में पूछी गई जानकारी दर्ज करें और ***"खोजें"*** बटन पर क्लिक करें।

चरण 3.2: सेवाओं की सूची दिखाई देगी, इसमें **"Income Certificate"** पर क्लिक करें।

अब निम्नानुसार पेज दिखाई देगा, यहाँ आप **आवश्यक दस्तावेज़ों** की सूची देख सकते हैं।

चरण 3.3: इस पेज पर दिए गए ***"आगे"*** बटन पर क्लिक करें।

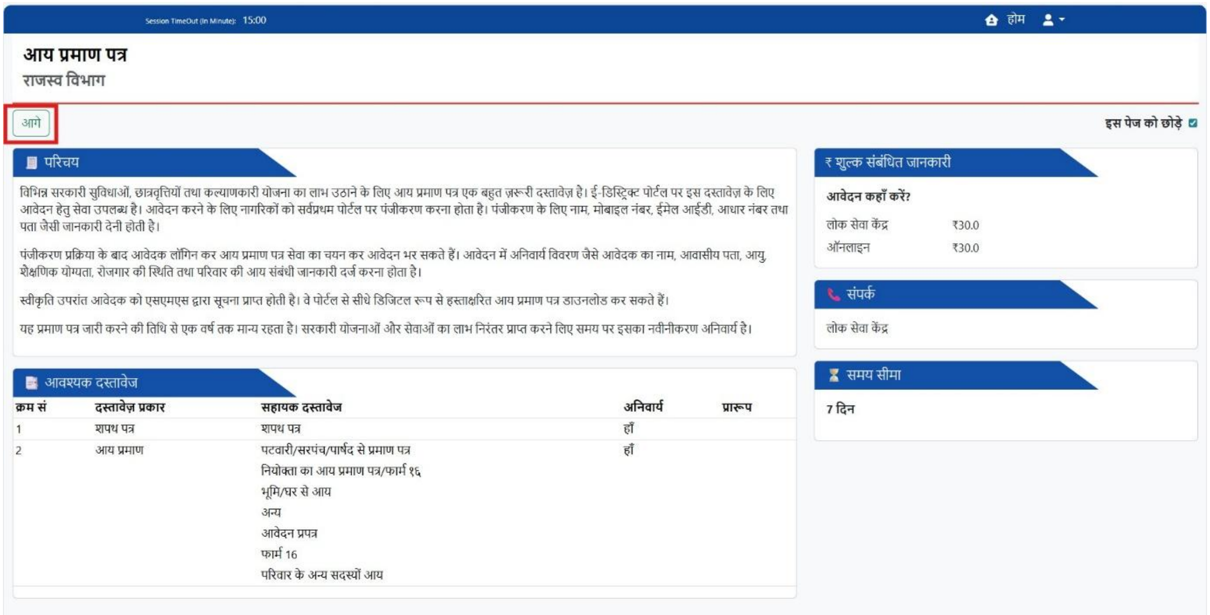

चित्र क्रमांक 7

चरण 4: आधार ई-प्रमाणीकरण

आधार ई-प्रमाणीकरण हेतु इस फॉर्म में आवेदक की बुनियादी जानकारी दर्ज करें।

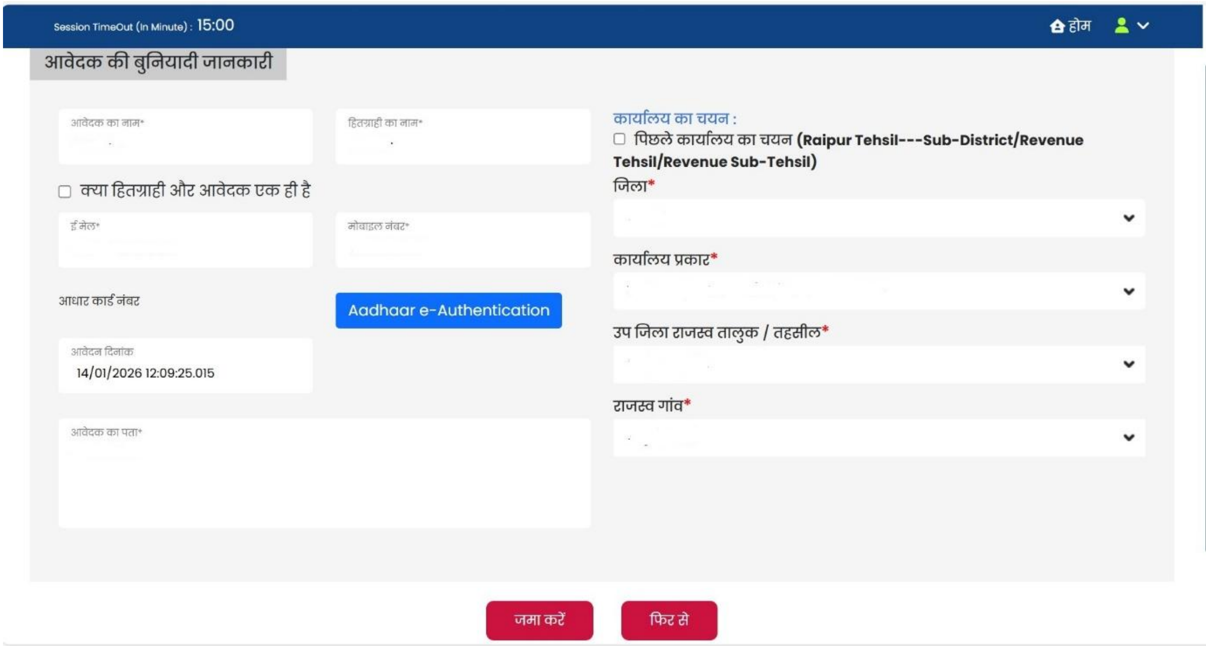

चित्र क्रमांक 8

चरण 4.1: आवेदक एवं हितग्राही का नाम भरें। ड्रॉप-डाउन लिस्ट से चुनकर कार्यालय का नाम और पूरा पता दर्ज करें।

चरण 4.2: प्रमाणीकरण के लिए "Aadhaar e-authentication" पर क्लिक करें।

निम्नानुसार पॉप-अप विंडो खुलेगा।

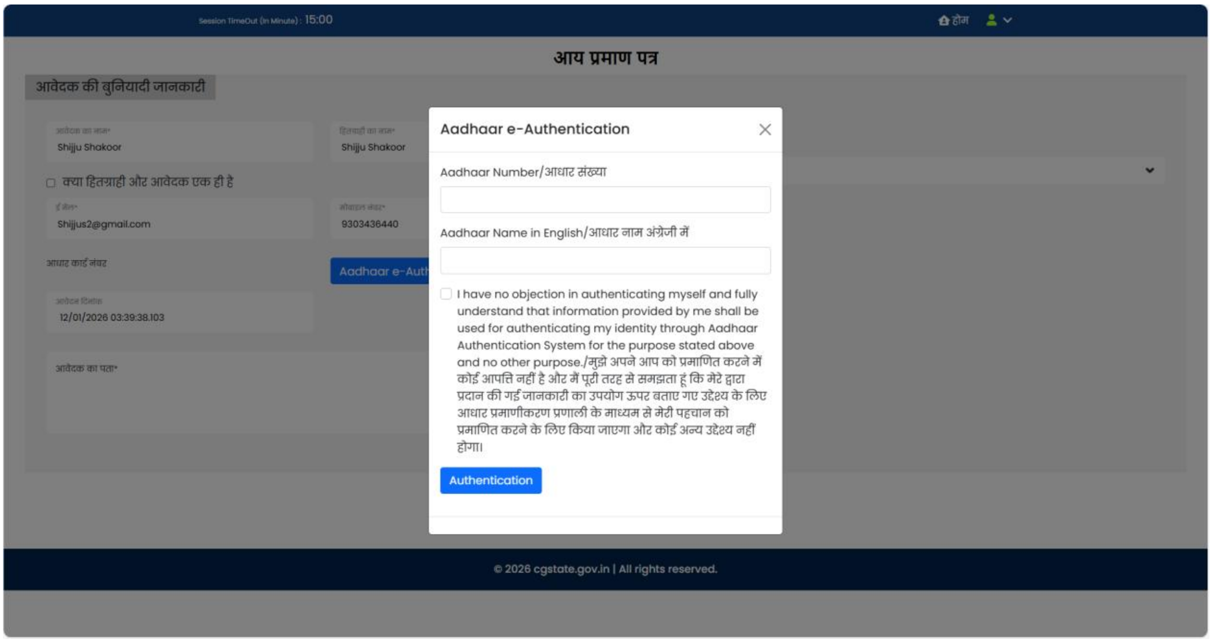

चित्र क्रमांक 9

चरण 4.3: प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या एवं नाम (आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेज़ी में) दर्ज करें।

चरण 4.4: निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करके आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति दें।

चरण 4.5: ***"Authentication"*** बटन पर क्लिक करें।

चरण 4.6: प्रमाणीकरण के बाद ***"जमा करें"*** बटन पर क्लिक करें।

निम्नानुसार पॉप-अप विंडो खुलेगा, जिसमें सहायक दस्तावेज़ों के लिए जाँच सूची प्रदर्शित है।

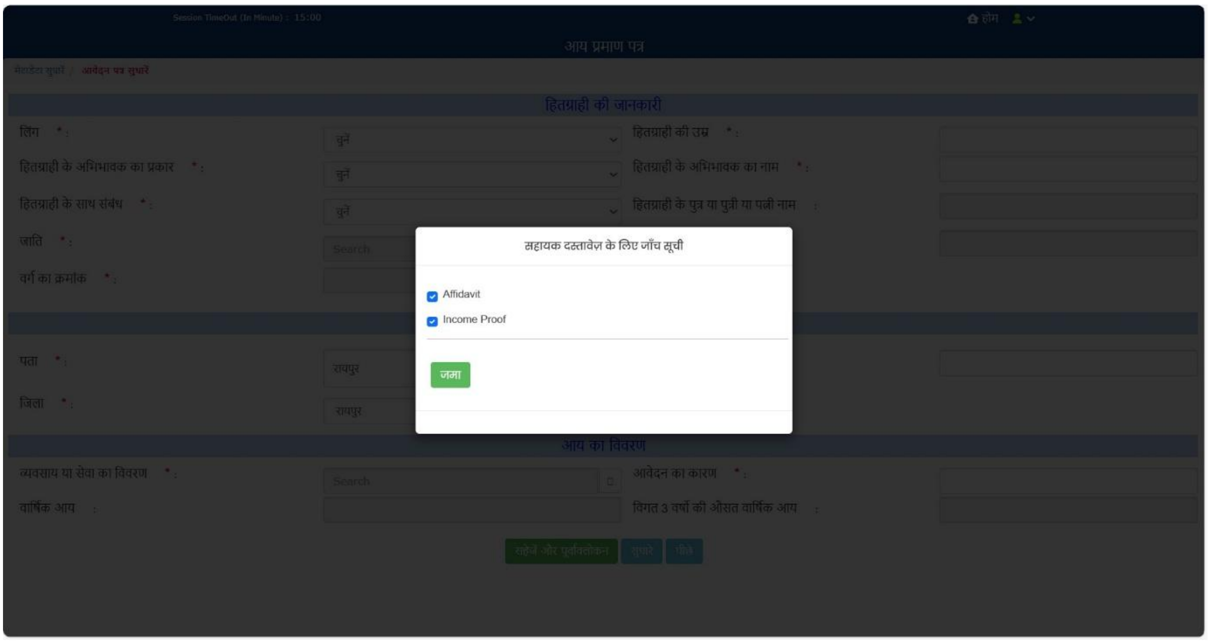

चित्र क्रमांक 10

चरण 4.6: आधार ई-प्रमाणीकरण के बाद ***"जमा करें"*** पर क्लिक करें।

*नोट: आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए **शपथ पत्र** एवं **आय का कम से कम एक प्रमाण** अनिवार्य है।*

चरण 5: आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

चरण 5.1: आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु निम्नानुसार पूछी गई जानकारियाँ भरें।

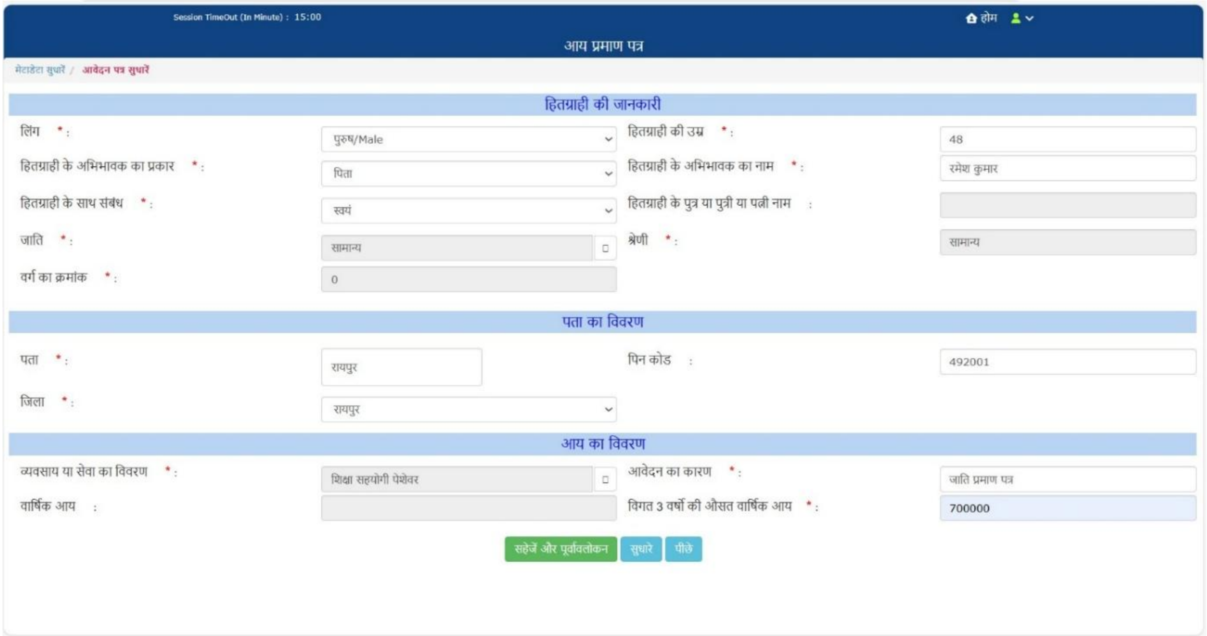

चित्र क्रमांक 11

चरण 5.2: सारे विवरण भरकर **"सहेजें और पूर्वावलोकन"** बटन पर क्लिक करें।

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना

भरा हुआ फॉर्म सहेजने के बाद निम्न चित्रानुसार पेज खुलेगा।

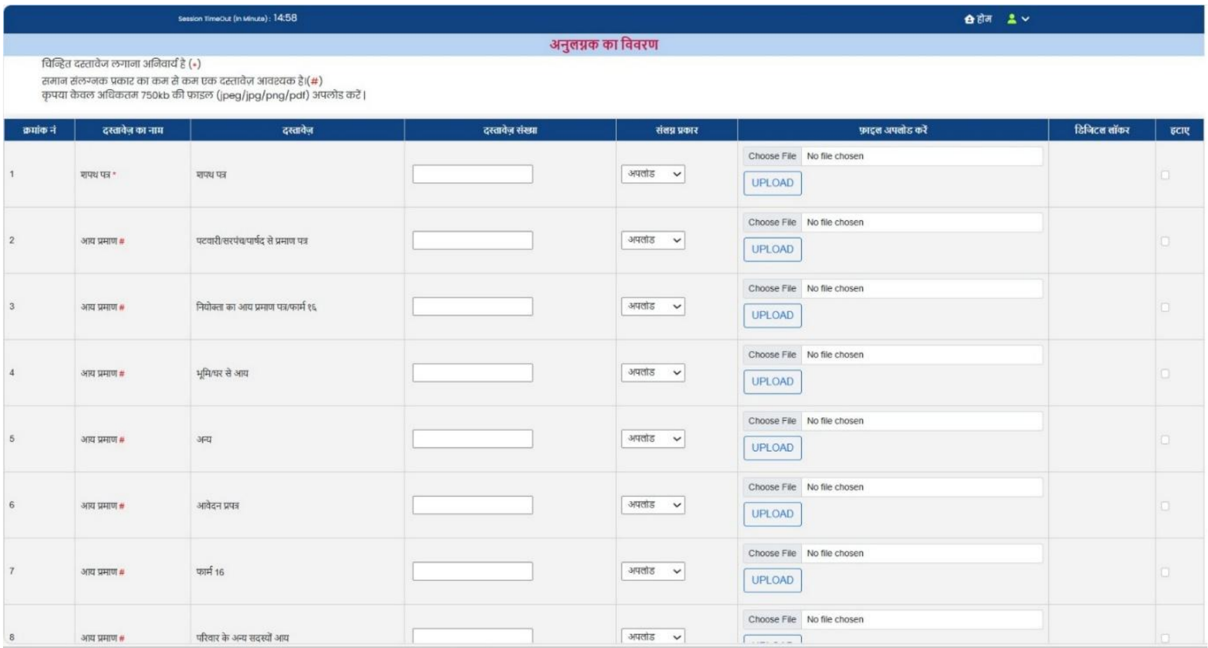

चित्र क्रमांक 12

चरण 6.1: "***Choose File***" पर क्लिक कर अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप से दस्तावेज की स्कैन कॉपी चुनें।

चरण 6.2: फाइल सलेक्ट करने के बाद ***"UPLOAD"*** पर क्लिक करें।

चरण 6.3: दस्तावेज अपलोड करने के बाद ***"अनुलग्नक सहेजें"*** पर क्लिक करें।

चरण 6.4: पुष्टिकरण के लिए डॉयलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे **ओके** कर दें।

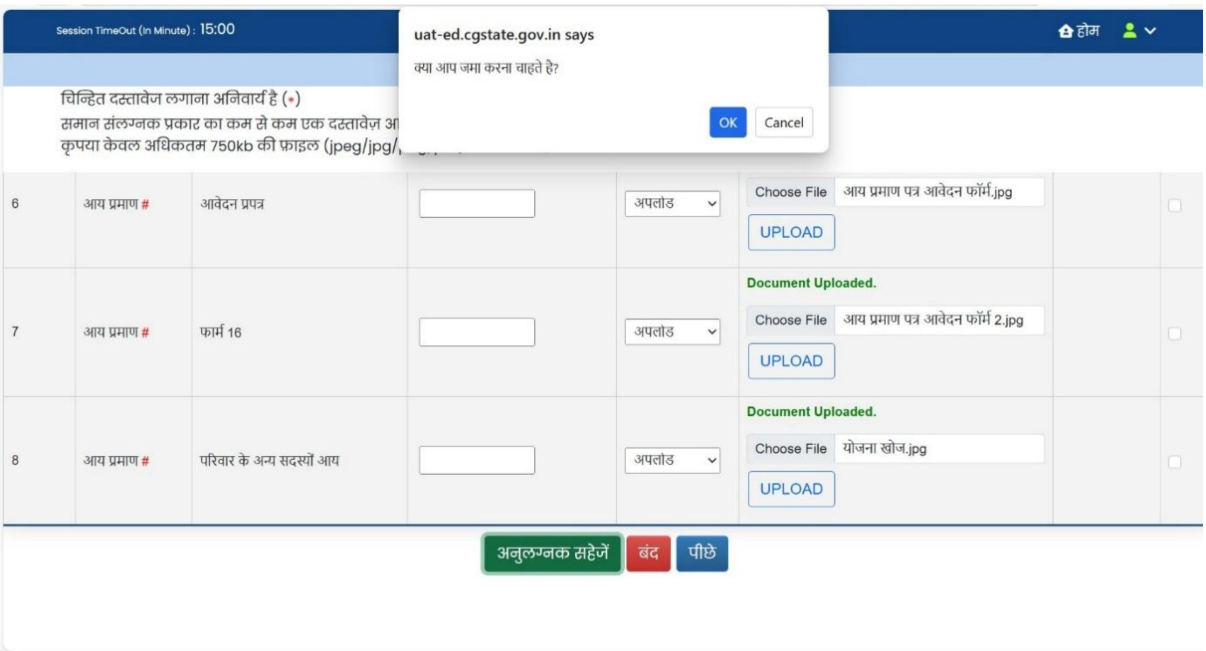

चित्र क्रमांक 13

चरण 7: शुल्क का भुगतान

इस पेज पर लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क के लिए सेवा शुल्क एवं स्कैनिंग शुल्क का विवरण देख सकते हैं।

Session TimeOut (in Minute) : 14:58

होम

शुल्क विवरण

क्रमांक नं	शुल्क	कुल राशि
1	स्कैनिंग शुल्क	15 /-Rs.
2	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क	30 /-Rs.
कुल		45 /-Rs.
	भुगतान का तरीका	eWallet

जमा करें बंद

चित्र क्रमांक 14

चरण 7.1: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
चरण 7.2: "जमा करें" पर क्लिक करें।

नोट:

- लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क के लिए **सेवा शुल्क रु. 30** निर्धारित है।
- सेवा शुल्क में **पाँच दस्तावेज़ों** तक स्कैनिंग निःशुल्क है। अतिरिक्त दस्तावेज़ों की स्कैनिंग का शुल्क पृथक से लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क संचालक द्वारा लिया जा सकता है।

चरण 8: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना

शुल्क के भुगतान के पश्चात् निम्न चित्रानुसार पेज खुलेगा।

Session TimeOut (In Minute) : 14:50 होम

पूर्वविलोकन- आय प्रमाण पत्र

आवेदक की बुनियादी जानकारी	
आवेदक का नाम	पंकज
हितग्राही का नाम	पंकज
आवेदन दिनांक	16-01-2026
आवेदक का पता	अमलीडीह
मोबाइल नंबर	9752542311
ई मेल	rajeh@gmail.com
आधार कार्ड नंबर	
कार्यालय प्रकार	उप-जिला / राजस्व तहसील / राजस्व उप-तहसील
हितग्राही की जानकारी	
लिंग	पुरुष/Male
हितग्राही की उम्र	45
हितग्राही के अभिभावक का प्रकार	पिता
हितग्राही के अभिभावक का नाम	पंकज कुमार
हितग्राही के साथ संबंध	स्वयं
हितग्राही के पुत्र या पुत्री या पत्नी नाम	----
जाति	सामान्य
श्रेणी	सामान्य
वर्ग का क्रमांक	0
पता का विवरण	
पता	अमलीडीह
पिन कोड	492015
जिला	रायपुर
आय का विवरण	
व्यवसाय या सेवा का विवरण	शिक्षा वृति
आवेदन का कारण	जाति प्रमाण पत्र
वार्षिक आय	----
विगत 3 वर्षो की औसत वार्षिक आय	500000

अनुलग्न दस्तावेज सूची

क्रमांक नं	दस्तावेज़ का नाम	सहायक दस्तावेज	दस्तावेज़ संख्या	दस्तावेज
1	शपथ पत्र	शपथ पत्र		देखे
2	आय प्रमाण	पटवारी/सरपंच/पार्षद से प्रमाण पत्र		देखे
3	आय प्रमाण	नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र/फार्म १६		देखे

मैंने मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र को भलीभांति देख लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अधिकृत लोक सेवा केन्द्र या सक्षम अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में पूर्णतया मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं; घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय किये गये समस्त दस्तावेजों को मूल प्रति से स्कैन किया गया है, तत्पश्चात पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। दस्तावेजों के किसी भी तरह त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर संपूर्ण जवाबदेही मेरी होगी, एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

☐ आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करे

चित्र क्रमांक 15

चरण 8.1 घोषणा: घोषणा हेतु निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करें।

चित्र क्रमांक 16

चरण 8.2: घोषणा पर क्लिक करते ही ***"जमा करें"*** बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा।

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात् पावती जेनरेट होती है। इसमें **आवेदन संदर्भ क्रमांक** देखा जा सकता है।

इस पावती का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

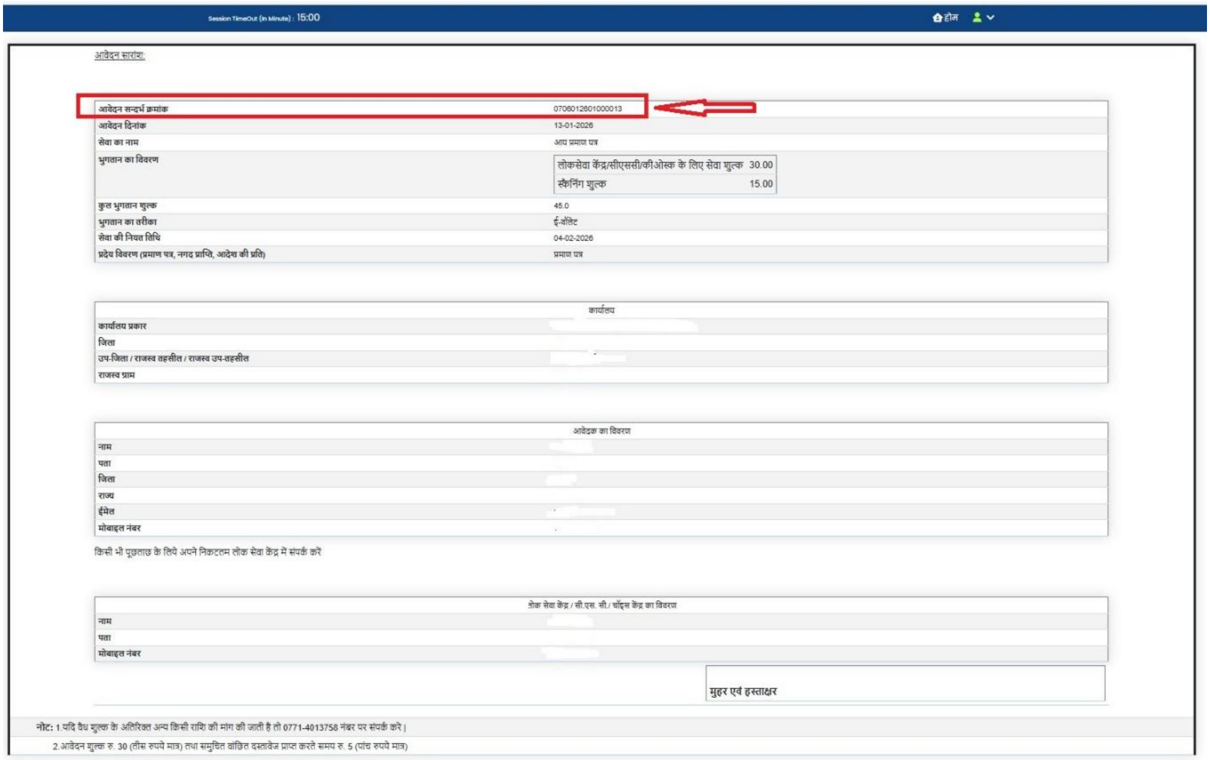

Session TimeOut (in Minute) : 15:00 होम

आवेदन सारांश:

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	070601260100013
आवेदन दिनांक	13-01-2026
सेवा का नाम	आय प्रमाण पत्र
भुगतान का विवरण	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क 30.00 स्कैनिंग शुल्क 15.00
कुल भुगतान शुल्क	45.0
भुगतान का तरीका	ई-वॉलेट
सेवा की नियत तिथि	04-02-2026
प्रदेय विवरण (प्रमाण पत्र, नगद प्राप्ति, आदेश की प्रति)	प्रमाण पत्र

कार्यालय	
कार्यालय प्रकार	
जिला	
उप-जिला / राजस्व तहसील / राजस्व उप-तहसील	
राजस्व ग्राम	

आवेदक का विवरण	
नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
ईमेल	
मोबाइल नंबर	

किसी भी पूछताछ के लिये अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें

लोक सेवा केंद्र / सी.एस. सी./ चॉइस केंद्र का विवरण	
नाम	
पता	
मोबाइल नंबर	

मुहर एवं हस्ताक्षर

नोट: 1.यदि वैध शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी राशि की मांग की जाती है तो 0771-4013758 नंबर पर संपर्क करे।

2.आवेदन शुल्क रु. 30 (तीस रुपये मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रु. 5 (पांच रुपये मात्र)

चित्र क्रमांक 17

आवेदन संदर्भ क्रमांक की सहायता से आवेदन की स्थिति छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर देखी जा सकती है।

उपयोगी जानकारी:

- *आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित 7 दिनों की समय-सीमा के अंदर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।*
- *ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।*
- ***आय प्रमाण पत्र जारी** होने के उपरांत इसकी **डिजिटल प्रति डाउनलोड** की जा सकती है।*

चरण 10: आवेदन की स्थिति एवं प्रमाण पत्र डाउनलोड

होम पेज पर **"आवेदन की स्थिति"** मेन्यू पर क्लिक करने पर चित्रानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगा।

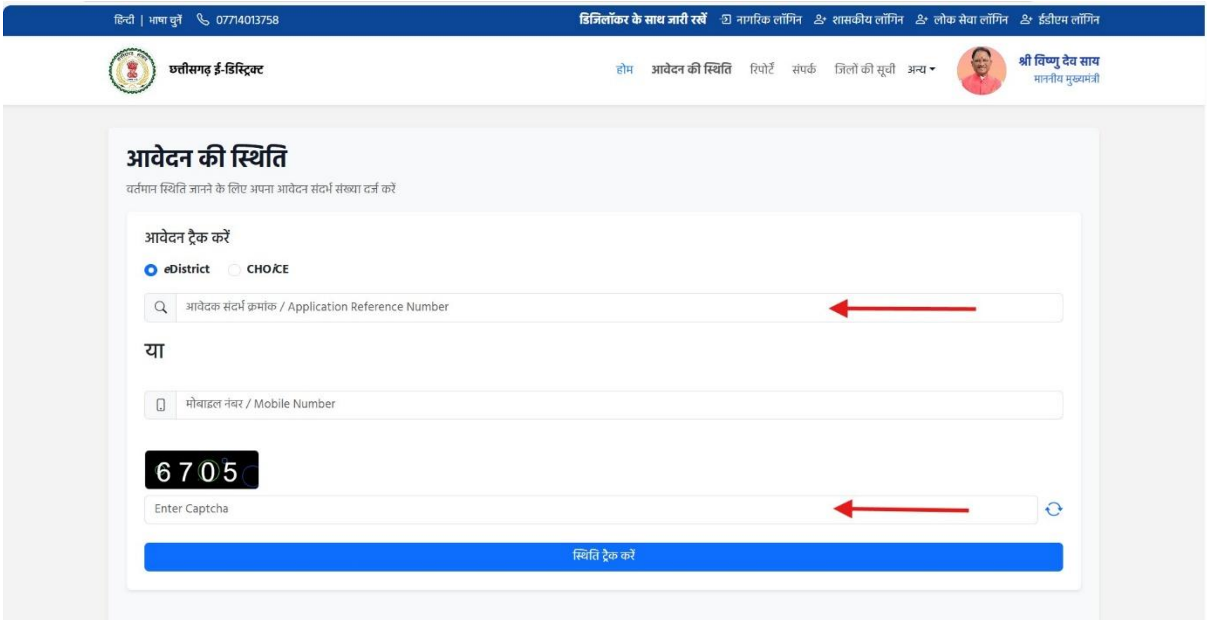

चित्र क्रमांक 18

चरण 10.1: निर्धारित बॉक्स में **आवेदन संदर्भ क्रमांक** दर्ज करें।

चरण 10.2: सिस्टम द्वारा प्रदर्शित **कैप्चा** टाइप करें

चरण 10.3: "स्थिति ट्रैक करें" पर क्लिक करें।

निम्नानुसार विंडो खुलेगा, यहाँ आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं

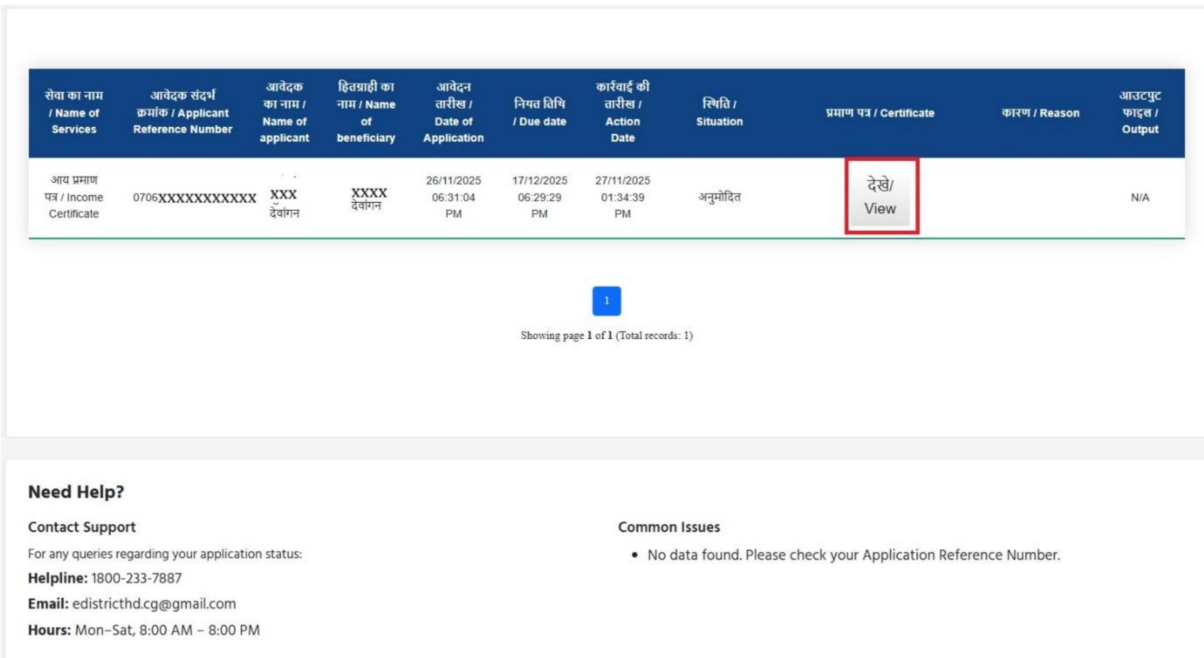

चित्र क्रमांक 19

चरण 10.4: उपरोक्त विंडो में “देखें (View)” बटन पर क्लिक कर आय प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति डाउनलोड करें।

नोट:

- आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहता है। सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसका नवीनीकरण अवश्य करवाएँ।
- किसी भी सहायता के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा दिए गए ई-मेल आईडी पर ई-मेल करें।